कार्यालय नगरपालिका रतननगर (चूरू)

कार्य संख्या 11 के लिए शर्ते
(डिग्गी संचालन व रखरखाव कार्य)

1. डिग्गी संचालन एवं रखरखाव की निविदा में भाग लेने वाला बोलीदाता श्रम विभाग द्वारा रजिस्टर्ड होना चाहिए।
2. डिग्गी के पूर्ण संचालन का कार्य संवेदक को अपने स्तर पर करना होगा। जिसमें पालिका के द्वारा किसी प्रकार का श्रमिक उपलब्ध नहीं करवाये जावेंगे।
3. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिकों द्वारा कार्य करने के दौरान कोई दुर्घटना, चोट लगना या घायल अथवा मृत्यु होने पर श्रमिक के मुआवजा/दावा राशि चुकाने की जिम्मेवारी निविदादाता की होगी।
4. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिकों की उपस्थिति व कार्य का प्रमाणिकरण सक्षम अधिकारी/स्वच्छता निरीक्षक द्वारा किया जावेगा।
5. निविदा प्रपत्र 500/– रू. का शुल्क पर ही जारी किया जावेगा। धरोहर राशि जमा करानी अनिवार्य होगी। संवेदक कि सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी। ठेका स्वीकृति पश्चात निविदा दाता को पालिका शर्तो के अधिन आवश्यक स्टाम्प पेपर पर अनुबंध कराना होगा।
6. एक से अधिक संवेदकों की समान न्यूनतम दर प्राप्त होने पर सभी समान न्यूनतम निविदाताओं को काउंटर ऑफर के अन्तर्गत नियमानुसार नेगोसिएशन प्रक्रिया अपनाई जायेगी।
7. नगरपालिका किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने के अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है।
8. निविदादाता को कार्य के दैनिक सत्यापन एवं प्रमाणीकरण के पश्चात पूर्ण संतुष्टी पर ही स्वीकृत दर से राशि का भुगतान पालिका द्वारा किया जावेगा।
9. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिकों द्वारा कार्य पूर्ण न करने एवं कार्य असंतोषजनक रूप से सम्पादित करने पर प्रति दिवस 250/–की पेनल्टी भी वसूल की जायेगी, जो उसी माह के बिल से काटी जायेगी।
10. निविदा वितिय वर्ष 2021–22 के लिए होगी।
11. निविदादाता फर्म को रजिस्ट्रेान/जीएसटी/पैन कार्ड संबंधि प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवयक होगा।
12. पूर्व में फर्म को किसी राजकीय विभाग/निगम/बोर्ड आदि द्वारा दोषी मानकर काली सूची में नहीं डाला गया है इस आशय का 100/– में नॉन ज्युडिसियल स्टाम्प पर नोटेरी पब्लिक से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
13. श्रमिक का व्यवहार नगरपालिका के कर्मचारियों व अधिकारियों के प्रति मधुर होना चाहिए तथा उसे दिये गये आदेशों की तुरन्त पालना करनी होगी। यदि चालक मधुर व्यवहारी व आज्ञाकारी नहीं है तो फर्म को श्रमिक बदलना होगा।

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, रतननगर

Scanned with CamScanner

14. श्रमिक बिना कोई पूर्व सूचना के कार्यस्थल से अनुपस्थित रहने पर स्वास्थ्य निरीक्षक को सूचित करना होगा।
15. डिग्गीयों पर स्थापित DG जनरेटरों का संचालन विधुत आपूर्ती रूकने पर संवेदक द्वारा ही किया जायेगा। उक्त जनरेटरों मे डिजल नगरपालिका द्वारा देय होगा। जनरेटरों में डिजल आपूर्ती हेतु संवेदक द्वारा सफाई निरीक्षक को सूचित किया जायेगा। समस्त जनरेटरों की लॉग बुक का संधारण सफाई निरीक्षक द्वारा ही किया जायेगा।
16. किसी प्रकार की शास्ति का भुगतान प्रत्येक माह के बिल में से नगरपालिका द्वारा बिना सूचित किये काट लिया जायेगा।
17. श्रमिक दर संविदा की अवधि कार्यादेश जारी होने की तिथि से 31.03.2022 तक होगी जिस नियमानुसार पालिका द्वारा आगे बढ़ाई अथवा घटाई जा सकती है।
18. किसी भी प्रकार के विवाद के लिए अध्यक्ष एवं अधिशाषी अधिकारी का अन्तिम निर्णय होगा। जो निविदादाता को मान्य होगा।
19. श्रमिक द्वारा कार्य के दौरान हर प्रकार की कोई दुर्घटना चोट लगना या घायल अथवा मृत्यु होने पर मुआवजा/दावा राशि भुगतान की समस्त जिम्मेदारी फर्म की होगी। पालिका द्वारा कोई क्लेम स्वीकृति नहीं किया जावेगा।
20. डिग्गी के पानी निकासी के दौरान मोटर पम्प में तकनीकी खराबी होने पर अथवा अन्य किसी प्रकार की कोई खराबी एवं विधुत पेनल बोर्ड व स्टार्टर में खराबी होने पर संवेदक को अपने स्तर से सही करवाना होगा।
21. निविदादाता को दरें स्वीकृति के पश्चात रू. 500/- के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा।
22. निविदादाता फर्म को श्रम नियमों/उननियमों का पालन करना आवश्यक होगा।
23. कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 एवं वेतन भुगतान अधिनियम 1936 तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के दायित्व की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
24. संवेदक को प्रत्येक डिग्गी पर श्रमिक की उपस्थिति (24x7) सुनिश्चित करनी होगी।
25. निविदाकार द्वारा सेवा प्रदाता का सर्विस चार्च की राशि न्यूनतम एक रूपये से कम भरने पर टेंडर कापी निरस्त समझी जावेगी।

उपरोक्त शर्त सं. 01 से 25 तक की निविदादाता द्वारा अनुपालना नहीं करने पर शर्त भंग माना जाकर सक्षम अधिकारी द्वारा ठेकेदार की धरोहर राशि जब्त कर ठेकेदार का ठेका निरस्त किया जा सकेगा।

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका रतननगर (चूरू)

Scanned with CamScanner

बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगाः–

क्र. सं.	विवरण	रजिस्टेषन सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5	आयकर (पैन नंबर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इंडियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, [illegible]गर

Scanned with CamScanner